

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र

पत्रांक:भ-108/डी0डी0/फा0सा0/मेरठ-13(जीएन)

611

दिनांक: अप्रैल

29

2013

सेवा में

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स ग्रीन व्यू-2, सहकारी आवास समिति लि0, द्वारा प्लॉट न0-प्लॉट न0-4, चौरसिया इस्टेट सेक्टर-पाई ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में संशोधित प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 27-04-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओं एवं अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्लॉट एरिया-16,140.480 वर्ग मी0 है प्रश्नगत भवन का प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या: भ-01/सीएफओ/जीबीएन-12 (जीएन)/50 दिनांक: 10-01-2012 के द्वारा निर्गत किया गया है जिसमें प्रस्तावित आवासीय भवनों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	आकूपाइड ऊँचाई मी0 में
1	टावर ए0	बेसमेन्ट, स्टिल्ट एवं 14 तल	941.027	881.239	44.80
2	टावर बी0	बेसमेन्ट, स्टिल्ट एवं 14 तल	941.027	881.239	44.80
3	टावर सी0	बेसमेन्ट, स्टिल्ट एवं 14 तल	636.623	526.773	44.80
4	टावर डी0	बेसमेन्ट, स्टिल्ट एवं 14 तल	835.790	695.366	44.80

बेसमेन्ट एरिया-11475.008 वर्ग मी0।

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 60 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06 मीटर एन0बी0सी0, मानको के अनुसार है।

(अग्नि शक्ति) सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

उप निदेशक, फा0सा0/मेरठ-15.00 मी0।

वरेली/मेरठ ज़ोन बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जायें जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरो के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० प्रस्तावित है, बेसमेन्ट में 02 अतिरिक्त रैम्प है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 1620 एल०पी०एम० क्षमता का 01 अदद मेन-पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।

3-टेरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

6-यार्ड हार्डड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हार्डड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

7-आटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

9-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरो में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

13-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

13-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन०बी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वाँछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत र

संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुकरण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ग्रीन व्यू-2, सहकारी आवास समिति लि०, द्वारा प्लाट न०-4, चौरसिया इस्टे

सेक्टर-पाई ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापति



(अमरी शर्मा)

उप निदेशक, फायर अवरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे

तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


अनिल कुमार
उपनिदेशक (अग्निशमन) फ़ैसल
उपनिदेशक (अग्निशमन) फ़ैसल
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- मैसर्स ग्रीन व्यू-2, सहकारी आवास समिति लि0, द्वारा प्लॉट न0-प्लॉट न0-4, चौरसिया इस्टेट सेक्टर-पाई ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।